रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2005/पौष 8, 1927

No. 540] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2005/PAUSA 8, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2005

सं. 36/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 752(अ).— केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.127 (अ) का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 32 के सामने, स्तंभ (3) में, स्पष्टीकरण में,

(i) खंड (क) में, शब्दो और अंकों " नियम 20 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अंतर्गत घोषित " का लोप किया जायेगा;

(ii) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः

' (ग) " रिफाइनरी" का मतलब उस ईकाई से हैं जो कच्चे पेट्रोलियम तेल या प्राकृतिक गैस से मिटटी का तेल बनाती है,'

[फा. सं. 261/27/2002-सी.एक्स-8]

अजय, अवर सचिव

टिप्पणी :— अधिसूचना सं. 6/2002-के.उ.शु., तारीख 1 मार्च,2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.127 (अ) के तहत तारीख 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उत्तरोत्तर संशोधित की गई ।

अधिसूचना सं0 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.4.02 सा0का0नि0 305 (अ) तारीख 27.4.02, अधिसूचना सं0 31 /2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3.6.02 सा0का0नि0 402 (अ),तारीख 3.6.02, अधिसूचना सं0 32 /2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18.6.02 सा0का0नि0 434 (अ), तारीख 18.6.02, अधिसूचना सं0 40/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14.8.02 सा0का0नि0 567 (अ), तारीख 14.8.02, अधिसूचना सं0 41/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19.8..02 सा0का0नि0 581 (अ), तारीख 19.8..02, अधिसूचना सं0 42/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21.8..02 सा0का0नि0 587 (अ), तारीख 21.8..02, अधिसूचना सं0 43/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22.8..02 सा0का0नि0 591 (अ), तारीख 22.8..02, अधिसूचना सं0 44/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28.8..02 सा0का0नि0 609 (अ), तारीख 28.8..02, अधिसूचना सं0 47/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.9.02 सा0का0नि0 626 (अ), तारीख 6.9.02, अधिसूचना सं0 50/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25.9.02 सा0का0नि0 663 (अ), तारीख 25.9.02, अधिसूचना सं0 51/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.10.02 सा0का0नि0 672 (अ), तारीख 1.10.02, अधिसूचना सं0 53/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30.10.02 सा0का0नि0 739 (अ), तारीख 30.10.02, अधिसूचना सं0 55/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 7.11.02 सा0का0नि0 752 (अ), तारीख 7.11.02, अधिसूचना सं0 62/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.12.02 सा0का0नि0 858 (अ), तारीख 31.12.02, अधिसूचना सं0 1/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2.1.03 सा0का0नि0 4 (अ), तारीख 2.1.03, अधिसूचना सं0 6/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.3.03 सा0का0नि0 136 (अ), तारीख 1.3.03, अधिसूचना सं0 18/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3.3.03 सा0का0नि0 182 (अ), तारीख 3.3.03, अधिसूचना सं0 19/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 5.3.03 सा0का0नि0 192 (अ), तारीख 5.3.03, अधिसूचना सं0 29/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.4.03 सा0का0नि0 288 (अ), तारीख 1.4.03,अधिसूचना सं0 37/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30.4.03 सा0का0नि0 366 (अ), तारीख 30.4.03, अधिसूचना सं0 45/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14.5.03 सा0का0नि0 409 (अ), तारीख 14.5.03, अधिसूचना सं0 48/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.5.03 सा0का0नि0 443 (अ), तारीख 29.5.03, अधिसूचना सं0 52/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17.6.03 सा0का0नि0 493 (अ), तारीख 17.6.03, अधिसूचना सं0 55/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24.6.03 सा0का0नि0 510 (अ), तारीख 24.6.03, अधिसूचना सं0 57/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.6.03 सा0का0नि0 518 (अ), तारीख 27.6.03, अधिसूचना सं0 60/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.7.03 सा0का0नि0 613 (अ), तारीख 29.7.03, अधिसूचना सं0 63/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.7.03 सा0का0नि0 618 (अ), तारीख 31.7.03, अधिसूचना सं0 64/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.8.03 सा0का0नि0 638 (अ), तारीख 6.8.03, अधिसूचना सं0 74/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 20.10.03 सा0का0नि0 228 (अ), तारीख 20.10.03, अधिसूचना सं0 2/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8.1.04 सा0का0नि0 33 (अ), तारीख 8.1.04, अधिसूचना सं0 4/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.1.04 सा0का0नि0 45 (अ), तारीख 15.1.04, अधिसूचना सं0 5/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19.1.04 सा0का0नि0 50 (अ), तारीख 19.1.04, अधिसूचना सं0 10/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22.1.04 सा0का0नि0 69 (अ), तारीख 22.1.04, अधिसूचना सं0 12/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4.2.04 सा0का0नि0 97 (अ), तारीख 4.2.04, अधिसूचना सं0 13/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.2.04 सा0का0नि0 102 (अ), तारीख 6.2.04, अधिसूचना सं0 16/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28.2.04 सा0का0नि0 157 (अ), तारीख 28.2.04, अधिसूचना सं0 22/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.6.04 सा0का0नि0 360 (अ), तारीख 15.6.04, अधिसूचना सं0 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.7.04 सा0का0नि0 414 (अ), तारीख 9.7.04, अधिसूचना सं0 39/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4.8.04 सा0का0नि0 501 (अ), तारीख 4.8..04, अधिसूचना सं0 42/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.8.04 सा0का0नि0 507 (अ), तारीख 9.8..04, अधिसूचना सं0 43/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13.8.04 सा0का0नि0 523 (अ), तारीख 13.8..04, अधिसूचना सं0 44/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18.8.04 सा0का0नि0 526 (अ), तारीख 18.8..04, अधिसूचना सं0 45/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.8.04 सा0का0नि0 548 (अ), तारीख 27.8..04, अधिसूचना सं0 47/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.9.04 सा0का0नि0 581 (अ), तारीख 9.9.04, अधिसूचना सं0 48/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10.9.04 सा0का0नि0 583 (अ), तारीख 10.9.04, अधिसूचना सं0 49/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.9.04

सा0का0नि0 612 (अ), तारीख 15.9.04, अधिसूचना सं0 50/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16.9.04
सा0का0नि0 615 (अ), तारीख 16.9.04, अधिसूचना सं0 51/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17.9.04
सा0का0नि0 618 (अ), तारीख 17.9.04, अधिसूचना सं0 56/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.12.04
सा0का0नि0 850 (अ), तारीख 31.12.04, अधिसूचना सं0 5/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.3.05
सा0का0नि0 125 (अ), तारीख 1.3.05, अधिसूचना सं0 16/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2.5.05
सा0का0नि0 258 (अ), तारीख 2.5.05 और अधिसूचना सं0 29/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.5.05

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2005

No. 36/2005—CENTRAL EXCISE

G.S.R. 752(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 127(E), dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No.32, in column (3), in the Explanation,

(i) in clause (a), the words and figures "declared as such under rule 20 of the Central Excise Rules, 2002" shall be omitted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

'(c) "refinery" means a unit which makes kerosene either from crude petroleum oil or natural gas.'

[F. No. 261/27/4/2002-CX-8]
AJAY, Under Secy.

Note:—The principal notification No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March,2002 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 127(E), dated the 1st March, 2002 and was subsequently amended vide notification No.26/2002 dated 27.4.02, G.S.R. 305 (E) dated 27.4.02, 31/2002-C.E. dated 3.6.02, G.S.R. 402(E) dated 3.6.02, 32/2002-C.E. dated 18.6.02, G.S.R.434 (E) dated 18.6.02, 40/2002-C.E. dated 14.8.02, G.S.R.567 (E) dated 14.8.02, 41/2002-C.E. dated 19.8.02, G.S.R 581 (E) dated19.8.02, 42/2002-C.E. dated 21.8.02, G.S.R. 587(E) dated 21.8.02, 43/2002-C.E. dated 22.8.2002, G.S.R. 591(E) dated 22.8.2002, 44/2002-C.E.dated 28.8.02, G.S.R. 609(E) dated 28.8.02, 47/2002-C.E. dated 6.9.02, G.S.R. 626(E) dated 6.9.02, 50/2002-C.E.dated 25.9.02, G.S.R.663(E) dated 25.9.02, 51/2002-C.E. dated 1.10.02, G.S.R. 672(E) dated 1.10.02, 53/2002-C.E. dated 30.10.02, G.S.R. 739(E) dated 30.10.02, 55/2002-C.E. dated 7.11.02 G.S.R. 752(E) dated 7.11.02, 62/2002-C.E. dated 31.12.02,G.S.R. 858(E) dated 31.12.02, 1/2003-C.E. dated 2.1.03, G.S.R. 4(E) dated 2.1.03, 6/2003-C.E. dated 1.3.03, G.S.R. 136(E) dated 1.3.03, 18/2003-C.E. dated 3.3.03, G.S.R. 182(E) dated 3.3.03, 19/2003-C.E. dated 5.3.03, G.S.R. 192(E) dated 5.3.03, 29/2003-C.E. dated 1.4.03, G.S.R. 288(E) dated 1.4.03, 37/2003-C.E. dated 30.4.03, G.S.R. 366(E) dated 30.4.03, 45/2003-C.E. dated 14.5.03, G.S.R. 409(E) dated 14.5.03, 48/2003-C.E. dated 29.5.03, and G.S.R. 443(E) dated 29.5.03, 52/2003-C.E. dated 17.6.03, G.S.R.493 (E) dated 17.6.03, 55/2003-C.E. dated 24.6.2003, G.S.R. 510(E) dated 24.6.03, 57/2003-C.E. dated 27.6.03, G.S.R. 518(E) dated 27.6.03, 60/2003-C.E. dated 29.7.03, G.S.R. 613(E)

dated 29.7.03, 63/2003-C.E. dated 31.7.2003, G.S.R. 618(E) dated 31.7.03, 64/2003-C.E. dated 6.8.03, G.S.R 638(E) dated 6.8.03, 74/2003-C.E. dated 20.10.03, G.S.R. 828(E) dated 20.10.03, 2/2004-C.E. dated 8.1.04, G.S.R.33 (E) dated 8.1.04, 4/2004-C.E. dated 15.1.04, G.S.R. 45(E) dated 15.1.04, 5/2004-C.E. dated 19.1.04, G.S.R. 50(E) dated 19.1.04, 10/2004-C.E. dated 22.1.04, G.S.R. 69(E) dated 22.1.04, 12/2004-C.E. dated 4.2.04, G.S.R. 97(E) dated 4.2.04, 13/2004-C.E. dated 6.2.04, G.S.R. 102(E) dated 6.2.04, 16/2004-C.E. dated 28.2.04, G.S.R. 157(E) dated 28.2.04, 22/2004-C.E. dated 15.6.04, G.S.R. 360(E) dated 15.6.04, 23/2004-C.E. dated 9.7.04, G.S.R. 414(E) dated 9.7.04, 39/2004-C.E. dated 4.8.04, G.S.R. 501(E) dated 4.8.04, 42/2004-C.E. dated 9.8.04, G.S.R. 507(E) dated 9.8.04, 43/2004-C.E. dated 13.8.04, G.S.R. 523(E) dated13.8.04, 44/2004-C.E. dated 18.8.04, G.S.R. 526(E) dated 18.8.04, 45/2004-C.E. dated 27.8.04, G.S.R. 548(E) dated 27.8.04, 47/2004-C.E. dated 9.9.04, G.S.R. 581(E) dated 9.9.04, 48/2004-C.E. dated 10.9.04, G.S.R. 583(E) dated 10.9.04, 49/2004-C.E. dated 15.9.04, G.S.R.612 (E) dated 15.9.04, and 50/2004-C.E. dated 16.9.04, G.S.R. 615(E) dated 16.9.04, 51/2004-C.E. dated 17.9.04, G.S.R. 618(E) dated 17.9.04, 56/2004-C.E. dated 31.12.04, G.S.R. 850(E) dated 31.12.04, 5/2005-C.E. dated 1.3.05, G.S.R. 125(E) dated 1.3.05, 16/2005-C.E. dated 2.5.05, G.S.R. 258(E) dated 2.5.05, and 29/2005-C.E. dated 31.5.05, G.S.R. 346(E) dated 31.5.05, and 31/2005-C.E. dated 12.8.2005, G.S.R. 534(E) dated 12.8.2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.